

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,  
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 01.03.19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹2,30,84,735/- (दो करोड़ तीस लाख चौरासी हजार सात सौ पैतीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-03(7)ब दिनांक-07.06.18, 44(7)ब दिनांक-5.10.18 एवं 72(7)ब दिनांक-28.12.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹2,30,84,735/- (दो करोड़ तीस लाख चौरासी हजार सात सौ पैतीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-147(7) दिनांक-21.02.19) से प्राप्त राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक-स्वास्थ्य सेवाएँ इस राशि में से संगत जिले यथा नालन्दा, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, सुपौल मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, बाँका, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा एवं शिवहर के जिला वेक्टर बार्न डिजिज पदाधिकारियों का वेतन भुगतान करने हेतु उप आवंटन संगत जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को करें।

6. उप आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संगत जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राशि की निकासी कर जिला वेक्टर बार्न डिजिज पदाधिकारियों का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

0

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

10. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. यह मात्र आवंटन आदेश है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव



ज्ञापांक : 97(7)A

पटना, दिनांक : 01-03-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित सिविल सर्जन / सभी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित



सरकार के विशेष सचिव



विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित अधीक्षण उपशीर्ष अन्तर्गत क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय के लिए वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन (01-07)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13-02)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पटना	3020000	302000	1057000	96000	15100	60400	4550500	0	0	50000	50000	4650500	59/18.1.19
2	गया	2400000	240000	840000	0	12000	48000	3540000	80000	25000	0	25000	3670000	35/12.1.19
3	पूर्णियाँ	4600000	414000	1380000	0	23000	46000	6463000	0	0	0	20000	6483000	19/24.1.19
4	मुंगेर	2200000	220000	770000	0	11000	44000	3245000	0	35000	0	60000	3340000	24/12.1.19
5	सारण (छपरा)	790000	39500	276500	0	7900	11100	1125000	0	0	0	0	1125000	39/8.2.19
6	तिरहुत(मुजफ्फरपुर)	340000	34000	119000	0	1000	6000	500000	0	60000	0	0	560000	49/4.2.19
7	कोशी (सहरसा)	0	0	0	0	0	0	0	0	61485	50000	60000	171485	18/25.1.19
8	भागलपुर	69000	29500	69300	0	13900	43050	224750	0	0	0	0	224750	32/25.1.19
9	दरभंगा	2000000	200000	600000	0	20000	40000	2860000	0	0	0	0	2860000	27/23.1.19
	कुल	15419000	1479000	5111800	96000	103900	298550	22508250	80000	181485	100000	215000	23084735	

(दो करोड़ तीस लाख चौरासी हजार सात सौ पैतीस) रु० मात्र

97(7)A  
01-03-19

सरकार के विशेष सचिव

## उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध (पुनर्विनियोग सहित)	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	104009000	88590000	15419000	104009000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	10251000	8772000	1479000	10251000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	20556000	15444200	5111800	20556000	0
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	126000	30000	96000	126000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	340000	236100	103900	340000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	750000	451450	298550	750000	0
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	500000	0	0	0	500000
	<b>योग 20-2210.06.001.0001.01 वेतन</b>	<b>136532000</b>	<b>113523750</b>	<b>22508250</b>	<b>136032000</b>	<b>500000</b>
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	450000	0	80000	80000	370000
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	850000	385000	181485	566485	283515
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	1000000	480000	100000	580000	420000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	1275000	600000	215000	815000	460000
12	दूरभाष (0001-13-03)	350000	190000	0	190000	160000
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	4100000	3260000	0	3260000	840000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	900000	162000	0	162000	738000
15	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	100000	47000	0	47000	53000
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	495000	400155	0	400155	94845
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	1125000	0	0	0	1125000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	450000	225000	0	225000	225000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	1000	0	0	0	1000
	<b>कुल योग:-</b>	<b>147628000</b>	<b>119272905</b>	<b>23084735</b>	<b>142357640</b>	<b>5270360</b>

97(7)9

01-03-19



सरकार के विशेष सचिव

